न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर
पीठासीन अधिकारी– अरविन्द कुमार जाखड़ (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्याः 51/2022
GCMS CASE NO-2022/51

रामसिंह पुत्र श्री इन्द्रसिंह जाति जटसिख निवासी 18पी तहसील अनूपगढ जिला श्रीगंगानगर
..............अपीलांट

बनाम

1. राज श्री चारण पत्नी श्री आवड़दान चारण जाति चारण निवासी डीडवाना रोड़ हरमूल नागौर जिला नागौर
2. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार राजस्व/भू.अ. अनूपगढ़

..........रेस्पोडेंटगण

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थितः–
1. श्री तिलक राज चुघ, अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री मनोहर लाल चुघ अधिवक्ता रेस्पो0 संख्या 01
3. पैरोकार राज

:: निर्णय ::

दिनांकः 12.05.2023

1. यह अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 के तहत अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार अनूपगढ़ के इंतकाल संख्या 164 स्वीकृत दिनांक 09.03.2022 के विरूद्ध इस न्यायालय में प्रस्तुत की गयी है।
2. प्रकरण में अपीलांट ने अपील पेश कर निवेदन किया है कि तहसील अनूपगढ के चक 1 पी.एम. के प.न. 77/8, 78/9 व 78/17 की कुल 22.00 बीघा वर्तमान में मु.न. 51 प.न. 77/8 का किला नं. 2 ता 9, 13 ता 17 व 25 की कुल 2.783 हैक्टर, मु.न. न. 52 प.न. 78/9 का किलानं. 1 ता 6 की 1.328 हैक्टर व मु.न. 53 प.स. 78/17 के किला न. 1 ता 6 की 1.518 हैक्टर इस प्रकार कुल 5.629 हेक्टर कृषि भूमि बेलीराम पुत्र निहंगू को पुख्ता आवंटन हुई थी। मूल आवंटी बेलीराम का देहान्त होने के उपरान्त उक्त भूमि उसके विधिक वारिसान प्रशोतमलाल, वकील सिह, अमरसिंह, प्यारदेवी, सिलमादेवी पि. बेलीराम वगैरा द्वारा जरिए इकरारनामा दिनांक 30.7.1993 द्वारा शलैन्द्र पुत्र हरलाल जाति जाट निवासी 13 एमएलडी तहसील घड़साना को बैचान की गयी तथा कब्जा मय पानी मौका पर शैलेन्द्रकुमार को सौंप दिया गया । तत्पश्चात् शैलेन्द्र पुत्र हरलाल जाति जाट ने जरिए इकरारनामा खरीद व कब्जाशुदा विवादित भूमि जरिए इकरारनामा दिनांक 03.06.2008 द्वारा अपीलांट को विक्रय करते हुए इकरारनामा दिनांक 03.06.2008 की आंशिक अनुपालना में शैलेन्द्र कुमार ने उक्त विक्रयशुदा कृषि भूमि का कब्जा मौका पर अपीलांट को सौंप दिया गया। जिस पर अपीलांट का शांतिपूर्वक कब्जा काश्त चला आ रहा है। रेस्पोडेंट संख्या 01 द्वारा प्रशोतमलाल वगैरा से दुर्भीसंधि कर व साजिशाना तरीके से उक्त कृषि भूमि का बैयानामा दिनांक 11.02.2019 को अपने पक्ष में निष्पादित कर पंजीकृत करवा लिया गया, जिसका ज्ञान होने पर अपीलांट द्वारा संविदा की विनिर्दिष्ट पालना का वाद माननीय अपर जिला न्यायाधीश अनूपगढ़ के समक्ष प्रशोत्तम वगैरा के विरूद्ध प्रस्तुत किया, जिसमें शैलेन्द्र पुत्र हरलाल एवं रेस्पोडेंट सं. 1 को भी पक्षकार बतौर प्रतिवादी बनाया गया है। अपीलांट द्वारा संविदा की विनिर्दिष्ट अनुपालना के वादपत्र के साथ एक प्रार्थना पत्र बाबत [illegible] निषेधाज्ञा भी प्रस्तुत किया गया जो वाद बअनवानी रामसिंह बनाम प्रशोत्तम वगैरा न्यायालय अपर जिला न्यायाधीश अनूपगढ़ के समक्ष विचाराधीन है, लेकिन इसी दौरान रेस्पोडेंट सं. 1 द्वारा तहसीलदार भू–अभिलेख अनूपगढ से मिलीभगत एवं सांठगांठ कर

अतिरिक्त जिला कलक्टर
सूरतगढ (जिला–श्री गंगानगर)

Signature Not Verified
Digitally signed by Arvind Kumar Jakhar
Date: 2023.06.13 11:14:14 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

दिनांक 09.03.2022 को तथाकथित बैयनामा दिनांक 11.02.2019 के आधार पर इन्तकाल स्वीकृत करवाकर इन्तकाल संख्या 164 अपने नाम दर्ज करवा लिया गया, जिसे निरस्त किया जावे।

3. अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेंट को जरिये सम्मन तलब किया गया। अपीलांट की ओर से अधिवक्ता श्री तिलकराज चुघ हाजिर आये। रेस्पोडेंट संख्या 01 की ओर से अधिवक्ता श्री मनोहरलाल चुघ तथा रेस्पोडेंट संख्या 02 की ओर से पैरोकार राज उपस्थित आये। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख तलब किया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। बहस उभय पक्ष सुनी गई। तथा अधीनस्थ न्यायालय का मूल रिकॉर्ड मंगवाकर शामिल पत्रावली किया गया।

4. अपीलांट द्वारा अपील के साथ प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 96 सीपीसी मय शपथ पत्र पेश किया है। जिसका ना तो रेस्पोडेंटगण द्वारा जवाब पेश किया गया है तथा ना ही प्रतिशपथ पत्र पेश किया गया है। अतः अपील के साथ प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 96 सीपीसी स्वीकार किया जाकर अपील अनुमति प्रदान की जाती है।

5. प्रकरण में वकील अपीलांट द्वारा दिनांक 09.06.2022 को प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 39 नियम 7 एवं धारा 151 पेश किया गया था। प्रार्थना पत्र बहस उभय पक्ष सुनी गई। वकील अपीलांट ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दौहराते हुए कथन किया कि जैर अपील भूमि के संबंध में विनिर्दिष्ट अनुपालना का वाद पत्र संख्या 09/2019 न्यायालय अपर जिला न्यायाधीश अनूपगढ़ में जैरकार है। उक्त प्रकरण विचाराधीन होने के वाबजूद भी जैर अपील इंतकाल दर्ज कर दिया। जबकि उक्त प्रकरण में स्टेट को भी पक्षकार बनाया गया है। ऐसी स्थिति में प्रकरण के अन्तिम एवं न्यायपूर्ण निर्णय के लि कब्जे की जांच करवाई जानी न्याय संगत है जिस हेतु मौका कमीशनर नियुक्त किया जावे।

6. वकील रेस्पोडेंट संख्या 01 ने उक्त प्रार्थना पत्र का खण्डन करते हुए कथन किया कि हस्तगत अपील इंतकाल के विरूद्व पेश की गई है। प्रकरण में मौका रिपोर्ट मंगवाने का कोई औचित्य नहीं है। अतः अपीलांट का प्रार्थना पत्र निरस्त किया जावे।

7. पत्रावली में उपलबध दस्तावेजों का अध्ययन करने से पाया कि जैर अपील रकबा के संबंध में विनिर्दिष्ट अनुपालना का वाद पत्र संख्या 09/2019 न्यायालय अपर जिला न्यायाधीश अनूपगढ़ में जैरकार है। हस्गत अपील इंतकाल के विरूद्व पेश की गई है जिसमें मौका रिपोर्ट मंगवाने का कोई औचित्य नहीं है। हस्तगत प्रकरण बहस पर है अब प्रकरण में साक्ष्य एकत्रित करने के लिए मौका कमीशनर की नियुक्ति नहीं की जा सकती। इसलिए हम मौका कमीशनर नियुक्ति का प्रार्थना पत्र खारिज किया जाना उचित समझते है। अतः अपीलांट द्वारा दिनांक 09.06.2022 को प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 39 नियम 7 एवं धारा 151 निरस्त किया जाता है।

8. वकील अपीलांट ने दौराने बहस अपील मीमो के तथ्यों को दोहरते हुए कथन किया गया है कि अपीलांट द्वारा विवादित भूमि जरिए इकरारनामा दिनांक 03.06.2008 से खरीदशुदा है तथा इकरारनामा दिनांक से भूमि पर काबिज काश्त है। विवादित भूमि की संविदा की विनिर्दिष्ट पालना एवं विवादित भूमि पर स्थगन प्रार्थना पत्र माननीय अपर जिला न्यायाधीश में प्रकरण जैरकार है। न्यायिक दृष्टांत आरआरटी 2001 (2) पेज 988, आरआरडी 2001 पेज 57 पेश कर निवेदन है कि उक्त न्यायिक दृष्टांतों में यह प्रतिपादित है कि जहॉं पक्षकारों के बीच हक का प्रश्न सिविल न्यायालय में हो तो नामांतरण सिविल वाद के निर्णय के बाद ही किया जाना चाहिए। हस्तगत प्रकरण में भी माननीय अपर जिला न्यायाधीश में वाद जैरकार था परन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने रेस्पोडेंट संख्या 01 से मिलीभगत कर नामान्तकरण संख्या 164 स्वीकृत कर दिया जो आरम्भ से शुन्य होने के कारण खारिज योग्य है।

9. वकील रेस्पोडेंट ने अपनी बहस में कथन किया कि अपीलांट ने विवादित भूमि के संबंध में वास्तविक तथ्यों को छिपाकर स्थगन आदेश हासिल किया गया है। इकरारनामा के आधार पर अपीलांट को कोई अधिकार प्राप्त नहीं होते हैं। अपीलांट इकरारनामा के आधार पर सिविल न्यायालय में अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी है। रेस्पोडेंट ने उक्त भूमि को जरिए बैयनामा दिनांक 11.02.2019 को रोबरू गवाहान खरीद की है। बैयनामा के आधार पर उक्त भूमि का इन्तकाल व जमाबंदी भी रेस्पोडेंट के नाम से दर्ज हुई है। बैयनामा एक रजिस्टर्ड दस्तावेज है तथा रेस्पोडेंट बैयनामा एवं जमाबंदी के आधार पर खातेदार कृषक है व पानी की बारी [illegible] है। वकील रेस्पोडेंट द्वारा न्यायिक दृष्टान्त आर.बी.जे. 2018 पेज 499, आर.बी.जे [illegible] पेज [illegible] आर.बी.जे 2006 पेज 773 तथा आर.आर.डी. 1994 पेज 145 व आर.आर.डी. 2002 पेज 504 [illegible] (रेवन्यू) 2021 पेज 39 न्यायालय के समक्ष पेश किए गए। वकील रेस्पोडेंट ने कथन किया कि [illegible] ने विवादित भूमि के संबंध में वाद

Signature Not Verified
Digitally signed by Arvind Kumar Jakhar
Date: 2023.06.13 11:14:14 IST
Reason: SelfAttested

अतिरिक्त जिला कलक्टर सूरतगढ़ (जिला-श्री गंगानगर)

Scanned with OKEN Scanner

पत्र माननीय अपर जिला न्यायाधीश के समक्ष पेश कर रखा है ऐसी स्थिति में इकरारनामा का अनुतोष राजस्व न्यायालय से प्राप्त नहीं किया जा सकता। भूमि के संबंध में जारी स्थगन आदेश को निरस्त फरमाया जावे।

10. बहस पर मनन किया गया तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन एवं अध्ययन किया गया। अपीलांट जरिए इकरारनामा के आधार पर विवादित भूमि के संबंध में अनुतोष चाहा गया है। इसी भूमि के संबंध में संविदा की विनिर्दिष्ट पालना हेतु एक वाद पत्र माननीय न्यायालय अपर जिला न्यायाधीश अनूपगढ़ के समक्ष जैरकार है तथा विवादित भूमि के संबंध में न्यायालय उपखण्ड अधिकारी अनूपगढ के समक्ष राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 92ए के तहत दायर किया गया जो निर्णय दिनांक 06.02.2019 द्वारा वादपत्र निरस्त किए जाने के आदेश पारित किए गए, जिसके विरूद्ध न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी श्रीगंगानगर के समक्ष अपील संख्या 17/2019 रामसिंह पुत्र इन्द्र सिंह बनाम प्रशोतमलाल वगैरा पेश की गयी, जो निर्णय दिनांक 02.03.2022 द्वारा अस्वीकार की गयी। अपीलांट ने अपने वाद में यह स्पष्ट अंकित किया है कि विवादित भूमि जरिए इकरारनामा क्रय की है। इकरारनामा के आधार पर राजस्व न्यायालय से किसी प्रकार का अनुतोष नहीं दिया जा सकता है। इस संबंध में सक्षम सिविल न्यायालय से अनुतोष प्राप्त करने का प्रावधान है। रेस्पोडेंट के पक्ष में रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के आधार पर नामान्तकरण तस्दीक किया गया। नामान्तरकरण के आधार पर अधिकार व स्वत्व निर्धारित नहीं किये जा सकते है। विवादित भूमि के संबंध में अपीलाण्ट की ओर से संविदा की विनिर्दिष्ट पालना में माननीय माननीय न्यायालय अपर न्यायालय में विचाराधीन है, ऐसी स्थिति में अपीलाण्ट जरिए इकरारनामा के आधार अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी नहीं होने के कारण अपील अस्वीकार किये जाने योग्य है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट अस्वीकार की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार अनूपगढ़ का इंतकाल संख्या 164 स्वीकृत दिनांक 09.03.2022 यथावत रखा जाता है। निर्णय की प्रति सहित अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख वापिस लौटाया जावे। पत्रावली बाद तकमील तरतीब नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाय गया।

(अरविन्द कुमार जाखड़)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
सुरतगढ़ (जिला-श्री गंगानगर)
सूरतगढ़

Signature Not Verified

Digitally signed by Arvind Kumar Jakhar
Date: 2023.06.13 11:14:14 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner